प्रेस विज्ञप्ति

24.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय ने मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के विकास निधियों के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 40 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति जीएचएडीसी के 16-असानंग निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य (एमडीसी) इस्माइल आर. मराक के नाम पर है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेघालय लोकायुक्त शिकायत वाद संख्या 01/2019 से से प्रकाश में आए तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7ए, 12 एवं 13 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, पश्चिम गारो हिल्स, तुरा के समक्ष दायर आरोप-पत्र (विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाद संख्या 01/2023 दिनांक 18.05.2023) के आधार पर जांच प्रारंभ की।

जांच से पता चला कि गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) को प्राप्त "अपवर्जित क्षेत्रों हेतु अनुदान" की लगभग 28.66 करोड़ रुपये की राशि में से 16-असानंग निर्वाचन क्षेत्र में 49 विकास परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। मेघालय वित्तीय नियम, 1981 का उल्लंघन करते हुए, कथित रूप से जाली हस्ताक्षरों के आधार पर प्राप्त कार्यादेशों के विरुद्ध, दो ठेकेदारों, श्री कुबोन संगमा तथा श्री निकसेंग संगमा, को कार्य मूल्य का 60 प्रतिशत अग्रिम के रूप में जारी कर दिया गया। इसके पश्चात जारी की गई उक्त धनराशि का गबन किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत की गई प्रवर्तन निदेशालय की जांच में 52.60 लाख रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता चला, जिसमें से 19.60 लाख रुपये ठेकेदारों से प्राप्त नकद राशि के रूप में इस्माइल आर. मराक को तथा 33 लाख रुपये बैंक अंतरण के माध्यम से उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा मराक को उक्त ठेकेदारों के खातों के माध्यम से हस्तांतरित किए गए थे। वर्तमान में अनंतिम रूप से कुर्क की गई अचल संपत्ति को उक्त अपराध से अर्जित आय के समतुल्य मूल्य के रूप में धारण किया गया है, जिसका मूल्य इस प्रकार पता लगाई गई अपराध से अर्जित आय के बराबर है।

इससे पूर्व जांच के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17(1ए) के अंतर्गत कुल 16.38 लाख रुपये की बैंक खाता शेष राशि को फ्रीज किया गया था, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है। इस मामले में 04.12.2025 को तलाशी की कार्रवाई की गई थी।

आगे की जांच प्रगति पर है।